बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 76

बुरा विचार

कंपनी मामलों के केंद्रीय सचिव के हवाले से कहा जा रहा है कि चुनाव के बाद जब देश में नई सरकार बन जाएगी तो ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी) में संशोधन करके इसे छोटे कर्जदारों के लिए आसान बनाया जा सकता है। जो कर्जदार एक वर्ष में 60,000 रुपये से कम कमाते हैं, जिनके पास 20,000 रुपये से कम की परिसंपत्तियां हैं और जिनका बकाया कर्ज 35,000 रुपये से कम है उन्हें खुद सचिव के शब्दों में एक किस्म की कर्जमाफी दी जा सकती है। यह कर्जमाफी किसानों, दस्तकारों और कारीगरों, छोटे उद्यमियों तथा अन्य लोगों को दी जा सकती है। यह नई योजना भी उन तमाम माफी योजनाओं में शामिल हो जाती है जिनका वादा विभिन्न राजनीतिक दल चुनाव के दौरान करते आए हैं। परंतु यह योजना पहले की गई माफी की तमाम पेशकश पर भारी पड़ सकती है।

दिवालिया के व्यक्तिगत मामलों की बात करें तो छोटे कर्जदारों की दिक्कत दूर करने में कोई समस्या नहीं है। छोटी उधारी वाले लोगों की बात करें तो उन्हें बड़े कारोबारी घरानों की तरह कठिन दिवालिया प्रक्रिया से नहीं गुजारा जाना चाहिए। अधिकारी का यह कहना भी एकदम सही है कि ऐसे छोटे-छोटे मामले आईबीसी की व्यवस्था को जाम कर सकते हैं। ऐसे में बड़े और कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण मामलों का निस्तारण बाधित हो सकता है। इन तमाम दिक्कतों को दूर करना आवश्यक है। शायद कम आय स्तर वाले व्यक्तिगत मामलों की दिवालिया प्रक्रिया के लिए अधिक सुसंगत तरीका अपनाना होगा। हालांकि कंपनी मामलों के सचिव ने जिसे सार्वभौमिक ऋण राहत योजना का नाम दिया है वह काफी खतरनाक है। इससे वित्तीय समावेशन का पूरा आधार ही प्रभावित होगा। वित्तीय समावेशन का लक्ष्य है लोगों को उद्यमिता और व्यय के लिए अधिक से अधिक ऋण लेने के लिए प्रोत्साहित करना। बैंकों के लिए प्रोत्साहन समाप्त हो जाएगा। अधिकारी ने यह भी दावा किया कि इसकी लागत बमुश्किल 20,000 करोड़ रुपये आएगी लेकिन यह मानने की कोई वजह नहीं है कि यह राशि बढ़ेगी नहीं। ऐसे में यह सवाल पूछना उचित है कि जिन व्यक्तियों को अपने ऋण संबंधी अतीत की महत्ता का भी ठीक-ठीक ज्ञान नहीं है उनके इस ऋण इतिहास की उपयोगिता ही क्या है? अगर बकाया ऋण 35,000 रुपये से कम है तो कर्जदार को यह प्रोत्साहन मिल सकता है कि वह अपनी अतिरिक्त संपत्ति को अवैध एग्रीगेटर्स को बेच सकता है। नोटबंदी का अनुभव हमें यह बता चुका है कि बैंकों के पास ऐसे समांतर लेनदेन को रोकने का कोई ठोस तरीका नहीं है।

यह सवाल भी पूछा जाना चाहिए कि सार्वभौमिक ऋण राहत कार्यक्रम की अभी क्या आवश्यकता आ पड़ी? क्या सरकार को मुद्रा अल्प ऋण योजना के बारे में कोई ऐसी बात पता है जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आंकड़ों में सामने नहीं आ रही। पिछले कुछ समय में इस श्रेणी में फंसे हुए कर्ज में इजाफा हुआ है। भविष्य में हालात और बुरे हो सकते हैं। इसमें दो राय नहीं कि छोटे कर्जदारों के लिए दिवालिया घोषित करने का बेहतर ढांचागत तरीका होना चाहिए। एक ऐसा वित्तीय तंत्र बनाने की आवश्यकता है जो ऐसे कर्जदारों तक प्रभावी तरीके से पहुंचे। इसके लिए पुनर्भुगतान का मजबूत तरीका सुनिश्चित करना होगा। ऐसी योजना में यह जोखिम भी है कि यह ऋण संबंधी अनुशासन और ऋण संस्कृति को भंग कर दे और सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए संकट खड़ा करे। इससे ऋण का एक अहम स्रोत ठप हो सकता है जबकि वह कर्ज देने वाले महाजनों से कहीं बेहतर है। इसमें दो राय नहीं कि गरीबों में काफी निराशा है लेकिन एक सार्वभौमिक ऋण माफी योजना समस्या को हल नहीं करेगी। प्रत्यक्ष नकदी हस्तांतरण योजना इसी काम को बेहतर ढंग से कर सकती है।

विनय सिन्हा

बेहाल कॉर्पोरेट इंडिया की होगी बिक्री?

कंपनी के प्रवर्तकों को फंडिंग के लिए निजी इक्विटी एवं दीर्घकालिक पूंजी लानी होगी। अगर इसमें देर होती है तो कंपनी जगत अपना आवरण गंवा सकता है। बता रहे हैं **तमाल बंद्योपाध्याय**

पिछले हफ्ते एस्सेल समूह की कंपनियों के शेयरों में तीव्र गिरावट हुई। समूह की हिस्सेदारी बिक्री प्रकिया में देरी होने पर चिंताएं बढ़ने से ऐसा हुआ। रिलायंस म्युचुअल फंड के कथित तौर पर करीब 400 करोड़ रुपये की अपनी समूची होल्डिंग बाजार में बेच देने से समूह की अग्रणी कंपनी ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (ज़ीईईएल) के शेयर धराशायी हो गए। अगर इसके प्रवर्तक सितंबर तक बैंक कर्ज का भुगतान नहीं कर पाए तो कर्जदाता अपने पास गिरवी रखे शेयरों की बिक्री कर सकते हैं। हालांकि एस्सेल समूह के शेयर रखने वाले फंड हाउस तेजी से अपना धैर्य खो रहे हैं। समूह की तरफ से 7 मई को जारी बयान के मुताबिक, 'ज़ीईईएल की हिस्सा बिक्री की शुरू हुई प्रक्रिया में लगातार प्रगति है और अब यह अग्रिम चरण में है।' इसके पहले अप्रैल में समूह ने कहा था, 'कर्जदाताओं के साथ समझौते के तहत पुनर्भुगतान का संकल्प सितंबर 2019 तक हासिल कर लिया जाएगा। एस्सेल समूह को हरेक कर्जदाता का कर्ज चुकाने का भरोसा है।'

बी एम खेतान ग्रुप भी अपनी शीर्ष कंपनी एवरेडी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए नए मालिक की तलाश कर रहा है। बैटरी निर्माता एवरेडी के अलावा खेतान ग्रुप की चाय बागान कंपनी मैकलॉयड रसेल लिमिटेड के शेयरों पर तगड़ी चोट देखी जा रही है।

फरवरी में इमामी लिमिटेड के प्रवर्तक अग्रवाल एवं गोयनका परिवारों ने समूह की कंपनियों- इमामी सीमेंट लिमिटेड और इमामी पावर लिमिटेड के कर्ज चुकाने के लिए अपने 10 फीसदी शेयर 1,600 करोड़ रुपये में बेचे थे। लेकिन इस बिक्री से इमामी लिमिटेड में प्रवर्तकों की हिस्सेदारी 72.74 फीसदी से 10 प्रतिशत अंक कम हो गई। अपने कर्ज का बोझ कम होने से लेनदारों के पास रखे होल्डिंग कंपनी के शेयर छुड़वाने की समूह की क्षमता बढ़ेगी।

गौरतलब है कि इमामी के प्रवर्तकों ने पूंजी की अधिक जरूरत वाली सीमेंट एवं बिजली परियोजनाओं को फंड मुहैया कराने के लिए धन जुटाने के वास्ते अपनी 47 फीसदी हिस्सेदारी गिरवी रखी थी। तीसरी तिमाही के आंकड़े आने के बाद प्रवर्तकों ने अपने निवेशकों से कहा था कि समूह गिरवी शेयरों को कम करते हुए 30-35 फीसदी पर लाना चाहेगा।

ये घटनाएं भारतीय कंपनी जगत की एक नई बीमारी की ओर इशारा करती हैं जो कारोबार के नियम हमेशा के लिए बदल सकती हैं। कई कारोबारी समूह देनदारी के चलते भारी दबाव में हैं और बैंकों के पास गिरवी रखे हुए अपने शेयर बेचने या वापस लेने के तरीके तलाश रहे हैं। बीएसई के आंकड़े देखें तो अप्रैल के अंत में प्रवर्तकों ने करीब 2.25 लाख करोड़ रुपये के शेयर गिरवी रखे थे। बीएसई में सूचीबद्ध 5,126 कंपनियों में से 2,932 कंपनियों के प्रवर्तकों ने अकेली मार्च तिमाही में अपने शेयर गिरवी रखकर पैसे जुटाए हैं और 125 कंपनियों के प्रवर्तकों ने गिरवी रखे हुए शेयरों की मात्रा बढ़ाई है।

साफ है कि किसी कंपनी की लाभ कमाने की क्षमता का पैमाना माने जाने वाला ब्याज, कर, मूल्यह्रास और ऋण-परिशोधन पूर्व आय (एबिटा) और कर्ज के अनुपात पर हमें नए सिरे से गौर करने की जरूरत है क्योंकि यह किसी कंपनी की असली सेहत नहीं दिखाता है। परिचालक कंपनी के ऋण के अलावा हमें होल्डिंग कंपनी के ऋण पर भी ध्यान रखने की जरूरत है। सरल शब्दों में, यह किसी अर्थव्यवस्था की ताकत के आकलन के लिए केंद्र के साथ राज्यों के राजकोषीय घाटे पर भी नजर डालने की तरह है।

प्रवर्तक अपनी परिचालक कंपनियों में पैसे लगाने, कारोबार विस्तार या किसी अन्य मकसद के लिए होल्डिंग कंपनी के शेयर गिरवी रखकर कर्ज लेते हैं और शायद ही कभी वे उन शेयरों को वापस लेने के लिए उस कर्ज का निपटारा करते हैं। सेंसेक्स स्टॉक का औसत प्रतिफल करीब 1.5 फीसदी है और सूचीबद्ध कंपनियों का शेयर प्रतिफल करीब 0.5 फीसदी है। वे अपने कर्ज का निपटारा कैसे करेंगे? इसके अलावा कर्जदाता हमेशा पुराने कर्ज पर नया कर्ज देने को तैयार रहते हैं।

इस तरह के गिरवी रखे शेयरों का कम-से-कम 60 फीसदी हिस्सा गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) और म्युचुअल फंड के पास है। बैंकों को शेयर गिरवी रखकर कंपनियों को फंड देने की इजाजत नहीं है लेकिन वे कर्ज पुनर्भुगतान सुनिश्चित करने के लिए जमानत के तौर पर ऐसे शेयर मांग सकते हैं। वास्तव में, निजी स्तर पर शेयर गिरवी रखकर पैसे जुटाए जा सकते हैं। बीमा कंपनियां और पेंशन फंड गिरवी रखे हुए शेयरों के एवज में फंड नहीं देते हैं।

फंड की कमी से बेहाल एनबीएफसी को पैसों की दरकार है और डेट म्युचुअल फंड भी प्रतिदान के दबाव में हैं। उनके निवेशक कर्ज लेने वाली कुछ कंपनियों के प्रवर्तकों की वित्तीय हालत को लेकर फिक्रमंद हैं। अमूमन ऐसे कर्ज तगड़े मार्जिन पर दिए जाते हैं (100 रुपये के कर्ज के लिए प्रवर्तक को 150 या 200 रुपये के शेयर गिरवी रखने पड़ सकते हैं)। जब इन शेयरों के भाव गिर जाते हैं तो प्रवर्तकों को मार्जिन बरकरार रखने के लिए और शेयर देने पड़ते हैं। ऐसा नहीं करने पर कर्जदाता एनबीएफसी एवं एमएफ पहले से रखे हुए शेयरों को बेचकर अपना बकाया वसूल लेते हैं। इस दौरान कंपनी में प्रवर्तकों की हिस्सेदारी घट जाती है जिससे शेयरों के भाव पर दबाव पड़ता है। भाव गिरते ही और शेयर बेचे जाते हैं जिससे एक दुष्चक्र शुरू हो जाता है।

भले ही शेयरों की बिक्री कर्जदाता कर रहे हैं या खुद प्रवर्तक ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हिस्सेदारी में आई कमी और स्वामित्व गंवाने का भय कई प्रवर्तकों को खूब सता रहा है। यह भारतीय कंपनी जगत की समस्या है। एनबीएफसी और म्युचुअल फंड का क्या है? कई लोगों का मानना है कि फंड हाउसों को शेयरों के एवज में प्रवर्तकों को पैसे देने का कोई मतलब नहीं है और बाजार नियामक को इस पर रोक लगानी चाहिए। इसी तरह बैंकिंग नियामक को प्रवर्तकों को गिरवी रखे हुए शेयरों के एवज में फंड देने से रोकना चाहिए।

यह पैसे जुटाने का एक वैध तरीका है और गिरवी रखे शेयरों के एवज में पैसे देने में कोई बुराई नहीं है क्योंकि शेयर भी किसी फैक्टरी, सोना या रियल एस्टेट की तरह एक परिसंपत्ति समूह है। वैश्विक स्तर पर निजी इक्विटी फंड इस श्रेणी में बड़ी भूमिका निभाते हैं लेकिन भारतीय बाजार में वे मौजूद नहीं हैं।

जहां प्रवर्तकों को असंबद्ध विविधीकरण या फंड प्रत्यावर्तन रोकना चाहिए वहीं एनबीएफसी और एमएफ को इस श्रेणी पर नए सिरे से गौर करने की जरूरत है। मसलन, जब कोई निवेशक एक डेट फंड भुनाता है तो टी प्लस 1 ट्रेडिंग सिस्टम के चलते पैसा अगले दिन दिया जाता है। अगर एमएफ ऐसे एक्सपोजर के क्लोज-एंडेड वैकल्पिक निवेश फंड (एआईएफ) का हिस्सा होने का तरीका निकाल लेते हैं तो प्रतिदान दबाव से बचा जा सकता है। करीब 23 लाख करोड़ रुपये आकार के भारतीय म्युचुअल फंड बाजार का 10 फीसदी से भी कम हिस्सा एआईएफ का है। हमें गिरवी शेयरों के एवज में प्रवर्तकों को फंडिंग में निजी इक्विटी एवं दीर्घकालिक पूंजी लाने की जरूरत है। अगर इसमें अधिक देर होती है तो भारतीय कंपनी जगत अपना आवरण गंवा सकता है।

(लेखक बिज़नेस स्टैंडर्ड के सलाहकार संपादक, लेखक और जन स्मॉल फाइनैंस बैंक लिमिटेड के वरिष्ठ परामर्शदाता हैं)

चेहरे की पहचान करने वाली एफआर तकनीक की सीमाएं

तकनीकी तंत्र

देवांग्शु दत्ता

किसी इंसान का चेहरा आंखों से देखकर उसकी पहचान करने का काम अधिकतर लोग अपने-आप कर लेते हैं। लेकिन कंप्यूटर को यही काम करने में काफी समस्या होती है। हालांकि समय के साथ चेहरे की पहचान (फेशियल रिकॉग्निशन यानी एफआर) की तकनीक काफी सुधरी है और लोकप्रिय हो चली है।

अब हवाईअड्डों, सार्वजनिक शौचालयों, स्मार्ट ऑफिस और रिहायशी ब्लॉक में भी इस तकनीक का इस्तेमाल होने लगा है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां भी पहचान के लिए एफआर तकनीक का इस्तेमाल करती हैं। बैंक, शॉपिंग मॉल और सुपरमार्केट में सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं और सार्वजनिक स्थानों, मेट्रो स्टेशन में भी बड़े पैमाने पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इन कैमरों की फुटेज को एफआर डेटाबेस से जोड़ा जा सकता है। चीन के सुरक्षाबल भी उइगर अल्पसंख्यकों पर निगरानी रखने के लिए एफआर का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन निजता एवं नैतिकता से जुड़े कुछ अहम सवाल भी हैं। एफआर प्रणाली के नियंत्रित परिवेश में अक्सर ठीक से काम न करने से बड़ी तकनीकी चुनौतियां भी हैं।

किसी पर्सनल कंप्यूटर या स्मार्टफोन की एफआर प्रणाली का सीमित उद्देश्य होता है। उपयोगकर्ता उस पर अपना चेहरा रिकॉर्ड करता है और फिर उपकरण का सुरक्षा घेरा उस छवि से चेहरों का मिलान कर मालिक की पहचान कर लेता है। यह एक तरह से इकलौते शख्स का एफआर डेटाबेस होता है लेकिन संकलित छवियों के चलते उपकरण विनिर्माता के पास बड़ा डेटा इकट्ठा हो जाता है। एक स्मार्ट बिल्डिंग में संभवत: कई हजार तस्वीरों की प्रोसेसिंग होती है। हवाईअड्डे की चेक-इन सुविधा में एफआर सिस्टम थोड़ा पेचीदा होता है। नाम, उड़ान संख्या और यात्रियों के विवरणों का मिलान करना होता है।

यहां पर निजता का मुद्दा भी जुड़ा हुआ है। यात्री या तो हवाईअड्डों का संचालन करने वाली निजी इकाइयों से बायोमेट्रिक्स जानकारियां साझा करते हैं या वे इकाइयां यात्रियों की पहचान के लिए सरकारी डेटाबेस तक संपर्क कायम करती हैं। आधार के दुरुपयोग और उससे जुड़ी निजी कंपनियों द्वारा आधार संबंधी निजी जानकारियों को लीक करने के मामलों को देखते हुए इस समस्या की वजह को आसानी से समझा जा सकता है।

सार्वजनिक शौचालयों में लगी एफआर प्रणालियां व्यक्तियों की नहीं बल्कि वहां जाने वालों के लिंग की पहचान करती हैं। यह किसी व्यक्ति के चेहरे के साथ नाम का मिलान करने से काफी अलग काम है और कुछ मायनों में अधिक जटिल भी है। एफआर की लिंग-पहचान प्रणालियां लाखों लोगों के चेहरे के डेटाबेस के आधार पर तैयार की गई हैं। इसमें गलती की आशंका अधिक होती है क्योंकि कुछ पुरुषों के चेहरे महिलाओं की तरह लग सकते हैं और किशोरों को उभयलिंगी के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है।

ऐसी गलतियां होने की आशंका उस समय अधिक होती है जब प्रशिक्षण डेटाबेस में केश-विन्यास और रंग संबंधी पूर्वग्रह हावी होते हैं। अगर श्वेत कॉकेशियन चेहरों के साथ डेटाबेस बना है तो उसमें गहरी रंगत वाले लोगों की लिंग पहचान में गलतियों की आशंका अधिक होती है। ट्रांसजेंडर की भी शिनाख्त कर पाना आसान नहीं होता है। अधिकांश देश अभी तक यह नहीं तय कर पाए हैं कि ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को किस सार्वजनिक शौचालय का इस्तेमाल करना चाहिए।

इन मामलों में सक्षित लोग सहयोगी रवैया रखते हैं और ये परीक्षण नियंत्रित परिवेश में किए जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति हवाईअड्डे या स्मार्ट ऑफिस के भीतर दाखिल होता है तो वह एक तटस्थ पृष्ठभूमि के सामने पोज देता है जिससे उसकी पहचान आसान हो जाती है।

पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों का काम कई मायनों में अधिक मुश्किल होता है। उन्हें अस्पष्ट तस्वीरों के साथ काम करना पड़ता है जो सीसीटीवी कैमरों से जुटाई गई होती हैं, उनकी पृष्ठभूमि भी संदेहजनक होती है, उन्हें अक्सर ऐसे लोगों के बारे में जानकारी जुटानी होती है जो या तो घायल हुए हैं या उनकी मौत हो चुकी है और कुछ लोग तो जानबूझकर अपनी पहचान छिपाने की कोशिश करते हैं। पुलिस के पास काफी बड़ा डेटाबेस होता है जिसमें लाखों लोगों के बारे में करोड़ों तस्वीरें होती हैं। ऐसे में चेहरे का सही मिलान करने में अक्सर गलतियां हो जाती हैं।

चीन के सोशल क्रेडिट एवं निगरानी सिस्टम से हमें पता चलता है कि यह दुनिया की किसी भी पहचान व्यवस्था से अधिक बड़ी है। उइगर समुदाय के करीब 25 लाख लोगों पर एफआर प्रणाली के जरिये लगातार नजर रखी जाती है। एक स्मार्ट सिटी के बारे में अलीबाबा पर लीक हुए आंकड़ों से पेइचिंग के एम्बेसी क्षेत्र में सीसीटीवी नेटवर्क की जानकारी आ गई थी। उस एफआर सिस्टम में लोगों को नस्ल के आधार पर वर्गीकृत एवं चिह्नित किया गया था।

चीनी स्मार्टफोन पर खींची गई तस्वीरें अक्सर फोन निर्माताओं के क्लाउड स्टोर पर सुरक्षित रखी जाती हैं। इसके आधार पर फोन कंपनियां करोड़ों लोगों के चेहरे से संबंधित विशाल डेटा तैयार कर लेती हैं। चीन सरकार को इनमें से अधिकांश डेटा तक कानूनी पहुंच हासिल है। चीन के नगर निगम नियम तोड़ने वाले लोगों को छोटे अपराधों के लिए भी चिह्नित कर जुर्माना लगाते हैं। इसी तरह चीन का सोशल क्रेडिट सिस्टम सरकार की आलोचना करने वाले या कर्ज भुगतान नहीं करने वाले लोगों की पहचान करता है। अगर इस सिस्टम में किसी नागरिक को कम स्कोर मिला हुआ है तो उसे हवाईअड्डे या रेलवे स्टेशन के भीतर जाने से रोका जा सकता है। यहां पर भी एफआर प्रणाली का अहम योगदान होता है।

कई देश इस तकनीक का इस्तेमाल जरूर करेंगे। उस समय ऐसी तकनीक से नागरिकों को सुरक्षा देने के लिए निजता संबंधी नए कानून की जरूरत होगी ताकि दुरुपयोग न हो।

कानाफूसी

दिग्गजों से दूरी!

मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के सितारा प्रचारकों ने अपने वरिष्ठ नेताओं के लिए प्रचार कार्य नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में अब तक सात चुनाव सभाओं को संबोधित किया लेकिन इनमें से एक भी किसी बड़े या दिग्गज नेता के लिए नहीं थी। वह न तो मुरैना और न ही टीकमगढ़ गए। इन सीट से क्रमश: कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वीरेंद्र खटीक चुनाव मैदान में हैं। मोदी भोपाल भी नहीं गए जहां से कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह के सामने पार्टी ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को चुनाव मैदान में उतारा है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर भी यही बात लागू होती है। उन्होंने पूरे प्रदेश में अब तक 17 स्थानों पर रैलियां कीं लेकिन छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ, रतलाम में कांतिलाल भूरिया और गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए प्रचार करने नहीं पहुंचे। दोनों ही नेताओं ने अपेक्षाकृत नए नेताओं के लिए प्रचार करना पसंद किया।

मायावती का सुझाव

अगर बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती की चलती तो वह चुनाव के पहले ही प्रत्याशियों के धार्मिक स्थानों पर जाने और प्रार्थना आदि करने पर रोक लगा देतीं। पिछले दिनों उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान रोड शो और प्रार्थना करना फैशन में आ गया है और इसमें काफी धन खर्च किया जाता है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को इस खर्च को प्रत्याशी के चुनाव खर्च में जोड़ना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आयोग को चाहिए कि वह मीडिया को आचार संहिता लागू होने के दौरान ऐसे कार्यक्रम दिखाने से रोके।

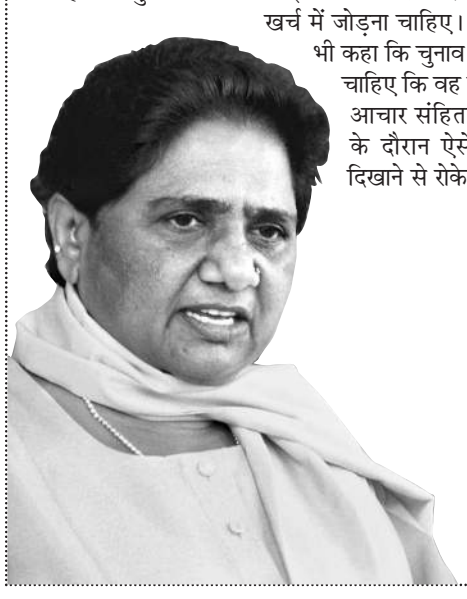

आपका पक्ष

नई सरकार के शुरुआती 100 दिन

इस माह के अंत तक केंद्र में नई सरकार का गठन हो जाएगा। नई सरकार के लिए शुरुआती 100 दिन आसान नहीं होंगे। वैश्विक संस्था वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने चेतावनी दी है कि इस वर्ष दुनिया के 70 प्रतिशत देशों में मंदी के आसार हैं। इसमें भारत भी शामिल है। जाहिर है नई सरकार के लिए यह बड़ी चुनौती होगी जिसे वैश्विक मंदी के समानांतर विकास बहाल करनी होगी। गरीबी दूर करने के लिए जरूरी स्रोतों का इस्तेमाल करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। सरकार को बुनियादी क्षेत्र और आवासीय क्षेत्र में विकास को जारी रखना होगा, क्योंकि इन क्षेत्रों से बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन होंगे। स्वरोजगार के लिए नए उद्योगों के अवसर बढ़ाने होंगे। इससे औपचारिक क्षेत्र में रोजगार सृजन होगा। नई सरकार को स्वास्थ्य से संबंधित आयुष्मान भारत योजना जैसी सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना होगा। किसानों की

आय तथा मध्यम वर्ग को कर के बोझ से बचाना होगा। आज भारत विश्व की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन देश में गरीबी और धनी व्यक्तियों के बीच अंतर काफी बढ़ गया है। संपन्न व्यक्तियों के पास 80 प्रतिशत धन है जबकि 80 प्रतिशत आबादी के पास केवल 20 प्रतिशत पूंजी है। देश के लिए यही काफी निराशाजनक स्थिति है। देश

वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने विश्व के 70 प्रतिशत देशों में मंदी के अंदेशे की चेतावनी दी है

में आर्थिक विकास की गति को बढ़ाना होगा। महंगी तथा लोकप्रिय सामाजिक योजनाओं के बजाय निम्न वर्ग को आर्थिक लाभ देने पर ध्यान देने की जरूरत है। देश को संपन्न और समृद्ध बनाने के लिए युवाओं को गतिशील बनाना पड़ेगा। तभी देश विश्व में अपनी एक अलग पहचान बना सकेगा।

दुर्गेश शर्मा, गोरखपुर

चुनावी बयानों में नहीं विकास की बात

लोकसभा चुनाव अंतिम पड़ाव पर है। उम्मीदवारों के हार जीत का फैसला 23 मई को हो जाएगा। इस बार लोकसभा चुनाव कई मामलों में याद किया जाएगा। एक महीना चलने वाले चुनाव के कारण विकास कार्य प्रभावित होने के साथ प्रशासनिक मशीनरी व्यस्त रही। आगामी चुनावों के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनाव प्रक्रिया में तेजी लाने तथा कम समय में पूरा करने के उपाय सोचने होंगे। यह चुनाव व्यक्तिगत कटाक्ष, आक्षेपों, निम्न स्तर के राजनीतिक हमलों के लिए भी याद किया जाएगा। व्यक्तिगत आक्षेप का स्तर इतना गिर गया कि थप्पड़ मारने जैसे बयान सुनने को मिले। इन व्यक्तिगत हमलों में विकास की बात विलुप्त हो गई। किसी भी दल ने अगले पांच साल की योजनाओं को स्पष्ट रूप से जनता के समक्ष नहीं रखा। पूर्ववर्ती सरकार की नीतियों में क्या कमियां थी इस बात पर विपक्षी दल ज्यादा हमलावर रहे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी अधिकतर ऊर्जा राफेल मामले को हवा देने और चौकीदार चोर है के नारे को प्रचारित करने में लगा दी। कांग्रेस न्याय योजना लेकर आई है। लेकिन इस योजना के लिए धन कहां से आएगा यह स्पष्ट नहीं किया गया। इस प्रकार की घटनाओं से एक बड़े तबके की सोच में बदलाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इस चुनाव में जीत किसी की भी हो लेकिन यह निश्चित है कि बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक और दलित वर्ग के बीच की खाई बढ़ चुकी है। इस खाई को पाटने में काफी वक्त लगेगा।

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।